भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4983
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 / 11 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मादक द्रव्यों की जब्ती

4983. श्री गिरिधारी यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गुजरात और दिल्ली में मादक द्रव्यों की भारी खेप जब्त की गई है; और
(ख) सरकार द्वारा इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2022 से 2024 के दौरान गुजरात और दिल्ली में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा, दर्ज मामलों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्योरा क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ख): सरकार गुजरात और दिल्ली सहित देश में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं: -

(i) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इनके दुरुपयोग को रोकने के कार्यक्षेत्र में केंद्रीय और राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) स्थापित किया गया है। मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन से संबंधित सूचना के लिए एक ऑल-इन-वन एनकॉर्ड पोर्टल तैयार किया गया है।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एनकॉर्ड सचिवालय के रूप में कार्य करने और विभिन्न स्तरों पर एनकॉर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने में आगे कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) गठित की गई है।

लोक सभा अता. प्र. सं. 4983, दिनांक 01.04.2025

(iii) महत्वपूर्ण और बड़ी जब्तियों की जांच की निगरानी करने के लिए, भारत सरकार द्वारा महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) गठित की गई है।

(iv) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सीमा रक्षक बलों (सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल) को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वापक औषधियों की अवैध तस्करी के लिए तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रेल मार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी शक्ति प्रदान की गई है।

(v) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) नौसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, राज्य एएनटीएफ आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा सके।

(vi) सभी बंदरगाहों पर मादक पदार्थों की पहचान के लिए कन्साइनमेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैनिंग सुनिश्चित की जा रही है।

(vii) देश की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) निरंतर अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(viii) मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) तंत्र के तहत डार्कनेट और क्रिप्टो-करेंसी पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नार्को-तस्करी में मदद करने वाले सभी प्लेटफॉर्मों की निगरानी, एजेंसियों/एमएसी सदस्यों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी इनपुट साझा करने, मादक पदार्थों के नेटवर्क को रोकने, रुझानों, कार्यप्रणाली और नोड्स को निरंतर कैप्चर करने और डाटाबेस का नियमित रूप से अद्यतन बनाने तथा संबंधित नियमों और कानूनों की समीक्षा करने पर केंद्रित है।

(ix) जांच और सक्रिय पुलिस व्यवस्था के लिए सभी डीएलईए/अन्य जांच एजेंसियों की सहायता के लिए, गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल विकसित किया गया है। यह स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत स्वापक औषधियों संबंधी अपराधों में शामिल नार्को-अपराधियों का डेटा प्रदान करता है।

<u>लोक सभा अता. प्र. सं. 4983, दिनांक 01.04.2025</u>

(x) राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन सं. 1933 "मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र" (मानस) को 24x7 टोल-फ्री राष्ट्रीय नार्कोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। तदनुसार, 'मानस' की परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है, जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित शिकायतों/समस्याओं को लॉग, रजिस्टर, ट्रैक और हल करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है।

(xi) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों में विद्यमान फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

(xii) समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, चुनौतियों और समाधानों का विश्लेषण करने के लिए नवम्बर, 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में एक उच्च स्तरीय समर्पित समूह (समुद्री सुरक्षा समूह- एनएससीएस) का गठन किया गया है।

******

लोक सभा अता. प्र.सं. 4983, दिनांक 01.04.2025

अनुलग्नक-I

वर्ष 2022 से 2024 के दौरान गुजरात में जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा, मामलों और गिरफ्तारियों का ब्योरा

वर्ष	**2022**	**2023**	**2024**
कुल मामले	516	604	623
गिरफ्तार किए गए कुल व्यक्ति	849	803	903
मादक पदार्थ/वर्ष	**2022**	**2023**	**2024**
एटीएस (किग्रा. में)	223.78	60.81	808
कोकीन (किग्रा. में)	53.97	87.13	13.19
एफेड्रिन/ (किग्रा. में)	0	479.00	0
कोडीन (किग्रा. में)	91.10	0	1.00
गांजा (किग्रा. में)	12,839	12,486	6,574
हशीश (किग्रा. में)	933.97	53.44	3,716
हेरोइन (किग्रा. में)	741.59	30.93	90.14
केटामाइन (किग्रा. में)	0	0	59.78
एलएसडी (ब्लॉट्स में)	0	30	19
एमडीएमए (किग्रा. में)	0.01	0.19	0
मेफेड्रोन (किग्रा. में)	325.58	12.24	42.71
मेस्कलाइन (किग्रा. में)	0	0	21.17
मॉर्फिन (किग्रा. में)	0	0	2.70
अफीम (किग्रा. में)	11.48	4.72	320
पोस्ता भूसी (किग्रा. में)	13,120	10,460	7,920
इंजेक्शन (संख्या में)	0	2,58,672	0
सीबीसीएस (बोतलों में)	8,402	27,089	16,509
टैबलेट (किग्रा. में)	102.49	615.98	0
टैबलेट (संख्या में)	9,444	6,17,179	2,884

स्रोतः स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

लोक सभा अता. प्र.सं. 4983, दिनांक 01.04.2025
अनुलग्नक-II

वर्ष 2022 से 2024 के दौरान दिल्ली में जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा, मामलों और गिरफ्तारियों का ब्योरा

वर्ष	**2022**	**2023**	**2024**
कुल मामले	1,343	1,415	1,854
गिरफ्तार किए गए कुल व्यक्ति	1,573	1,655	2,177
मादक पदार्थ/वर्ष	**2022**	**2023**	**2024**
एसिटिक एनहाइड्राइड (किग्रा. में)	2.75	0	0
एटीएस (किग्रा. में)	24.59	17.55	38
कोकीन (किग्रा. में)	51.64	62.27	1,396.39
एफेड्रिन (किग्रा. में)	13.28	25.44	87.56
गांजा (किग्रा. में)	4764	3,733	4,903
हशीश (किग्रा. में)	92.60	82.28	64
हेरोइन (किग्रा. में)	449.09	94.86	233.92
केटामाइन (किग्रा. में)	0	8.83	0
खट के पत्ते (किग्रा. में)	0	286.70	0
एलएसडी (ब्लॉट्स में)	0	29,013	0
एलएसडी (किग्रा. में)	0.01	0	0
एमडीएमए (किग्रा. में)	1.13	1.60	8.17
मेफेड्रोन (किग्रा. में)	0	0.11	0
मेस्कलाइन (किग्रा. में)	1.76	0	3.80
मेथाक्वालोन (किग्रा. में)	1.66	15.69	0.45
अफीम (किग्रा. में)	83.29	405.43	132
पोस्ता भूसी (किग्रा. में)	243	346	1,099
इंजेक्शन (संख्या में)	2,385	2,141	92,124
सीबीसीएस (बोतलों में)	0	36,947	5,60,108
टैबलेट (किग्रा. में)	4.31	2.58	454.48
टैबलेट (संख्या में)	5,64,644	5,64,269	28,05,941

स्रोतः स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

****